<u>न्यायालय, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, खगड़िया</u>

<u>परिवाद वाद सं0–875^{C}/2022</u>

आरती देवी – परिवादिनी
बनाम्
विजय कुमार तांती वगैरह – अभियुक्त

<u>पश्चात्</u>

10.10.23 परिवादिनी आरती देवी की ओर से कोई पैरवी नहीं की गई। बार–बार पुकार पर परिवादिनी या उनके ओर से कोई विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। अभिलेख सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि परिवादिनी द्वारा दिनांक 15.10.22 को परिवाद पत्र दाखिल किया गया है तथा दिनांक 18.10.22 से लगातार आज तक परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी को समुचित पैरवी करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद उनकी ओर से कोई पैरवी नहीं की जा रही है। जिससे प्रतीत होता है कि परिवादिनी की प्रस्तुत वाद में कोई अभिरूचि नहीं रह गई है तथा अभियुक्तों के विरूद्ध अग्रिम कार्रवाई हेतु अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिससे इस वाद को लंबित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः ऐसी परिस्थिति में धारा 203 द0प्र0सं0 के अंतर्गत वाद **खारिज** किया जाता है। कार्यालय अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित
ह0/–
मु0न्या0दण्डा0